प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.11.2025

नगर जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों व सर्विलांस / स्वॉट टीम द्वारा भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 200 मोबाइल (अनुमानित कीमत 50 लाख रूपये) रिकवर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये गये ।

सी ई आई आर (सेन्ट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्र) पोर्टल पर नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर मोबाइल चोरी, स्नैचिंग व मोबाइल खोने आदि की प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए नगर जोन पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट की सहायता से भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 200 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रूपये है की बरामदगी की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिये तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। बरामद किये गये मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के स्वामियों की पहचान कर प्रदान किये गये हैं।

थानावार मोबाइल बरामदगी का विवरण-

1. थाना कोतवाली नगर- 50
2. थाना विजयनगर-50
3. थाना सिहानीगेट- 16
4. थाना नंदग्राम - 28
5. थाना कविनगर-24
6. थाना मधुबन वापुधाम -24
7. थाना साइबर-08

कुल योग - 200

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध हुक्काबार चलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 हुक्का, 07 हुक्का की पाईप, 07 चिलम, चिमटा व 02 डिब्बी फ्लेवर तम्बाकू बरामद हुआ ।

दिनांक 06.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध हुक्का बार चलाने वाले अभियुक्त 1.सोनू पुत्र अनिल निवासी जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली 2.मोनू पुत्र अनिल निवासी जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली 3.गौरव निवासी अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा मौके से अभियुक्त सोनू पुत्र अनिल निवासी जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली को रयल कैफे जौहरी एन्कलेव मैट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के हुक्का बार से 07 हुक्का व 07 हुक्का की पाईप, 07 चिलम, एक चिमटा व 02 डिब्बी तम्बाकू बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 223/271 बीएनएस व 4/21(1) सिगरेट अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह हुक्का बार मेरा भाई मोनू व गौरव निवासी अज्ञात चला रहा हैं। मैं उनके साथ कभी-कभी बार को चलाने व काउण्टर पर खडा हो जाता हूँ। हम हुक्का बार बिना लाइसेंस के चोरी छिपे चला रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र अनिल निवासी जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

1.मोनू पुत्र अनिल निवासी जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी, दिल्ली

2.गौरव निवासी अज्ञात

बरामदगी का विवरण-

07 हुक्का व 07 हुक्का की पाईप, 07 चिलम, 01 चिमटा व 02 डिब्बी तम्बाकू सील पैक हुआ जिस पर MYA 99 HERBAL FLAVOURED SPRING WATER, WATER MELON बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

यातायात माह के अंतर्गत
जागरूकता एवं प्रवर्तन की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश एवं यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में यातायात माह नवंबर-2025 के अंतर्गत गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन, छात्र-छात्राओं तथा वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 07-11-2025 को पुलिस उपायुक्त-यातायात एवं अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात के पर्यवेक्षण में गाजियाबाद के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम व प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी।

1. स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम

- 12 स्कूल/कॉलेजों में 3,320 छात्र/छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया।
- हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग, सुरक्षित ड्राइविंग, स्पीड लिमिट एवं ओवरटेकिंग से जुड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से बताया गया।
- यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई।
- छात्र/छात्राओं को "गुड सेमेरिटन" कानून, इमरजेंसी सहायता एवं दुर्घटना के समय जिम्मेदार आचरण की जानकारी प्रदान की गई।

2. स्कूली वाहनों की चेकिंग एवं चालानी कार्यवाही

- शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 402 स्कूली बसों, वैन की व्यापक चेकिंग की गई।
- फिटनेस, परमिट, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, अग्निशामक यन्त्र आदि अनिवार्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई।
- ओवरलोडिंग, असुरक्षित परिवहन एवं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 58 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

3. नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग

- नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की रोकथाम हेतु शहर में विशेष अभियान चलाया गया।
- नाबालिग वाहन चालकों/अभिभावकों/वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कुल 30 चालान की कार्रवाई की गई।

4. अन्य प्रवर्तन कार्यवाही

- हेलमेट/सीट बेल्ट न पहनने, ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने आदि नियम उल्लंघनों पर सख्ती से कार्रवाई की गई।
- सभी चौराहों/तिराहों पर जागरूकता पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया।

यातायात माह के दौरान अभी तक निम्न प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी है :-

- बिना हेलमेट कुल 10,216 वाहनों के चालान
- बिना सीट बेल्ट कुल 340 वाहनों के चालान
- मोबाइल फोन प्रयोग कुल 448 वाहनों के चालान
- रॉग साइड कुल 2,452 वाहनों के चालान
- तीन सवारी कुल 811 वाहनों के चालान
- काली फ़िल्म कुल 489 वाहनों के चालान
- बिना बीमा कुल 254 वाहनों के चालान
- बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र कुल 192 वाहनों के चालान
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस कुल 327 वाहनों के चालान
- हूटर सायरन/ प्रेशर हॉर्न कुल 209 वाहनों के चालान
- जाति सूचक शब्द कुल 261 वाहनों के चालान

यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, नाबालिग बच्चों को वाहन न दें तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में कमिश्नरेट स्तर पर गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री प्रताप सिंह तोमर तत्कालीन थाना लिंकरोड द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री हरीश कुमार द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 363/366/343 भादवि में अभियुक्त विजय सिंह पुत्र नत्थी निवासी प्रेमविहार कालोनी, थाना खोड़ा गाजियाबाद व स्थायी पता-म0न0 240 नया बांस जाटव बस्ती, बसेरी धौलपुर राजस्थान को मा०विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट स0-01 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 07.11.2025 को धारा 363/366/343 भादवि में अभियुक्त को धारा 366 भादवि में 07 वर्ष के कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 363 भादवि में 05 वर्ष के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 343 भादवि में 01 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 10.06.2021 को प्रातः समय करीब 9 बजे अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना लिंकरोड कमिश्नरेट गाजियाबाद पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री हरीश कुमार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 मनोज** पैरोकार थाना लिंकरोड